

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

सूचना

प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक 361 (3) दिनांक-14.06.11 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक तथा समकक्ष पद हेतु दिनांक 18/06/2011 से 20/06/2011 तक निर्धारित अन्तर्वीक्षा कार्यक्रम में निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारी ही शामिल हो सकते हैं :-

1. सामान्य श्रेणी में वरीयता क्रमांक 3264/08 तक के पदाधिकारी जिन्हें अपुनिरिक्षित वेतनमान् 14,300-18,300 रू० में डायनेमिक ए०सी०पी० प्राप्त है तथा जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष या उससे अधिक की बची हुई हो ।
2. अनुसूचित जाति श्रेणी में वरीयता क्रमांक 5887/08 तक के पदाधिकारी जिन्हें अपुनिरिक्षित वेतनमान् 14,300-18,300 रू० में डायनेमिक ए०सी०पी० प्राप्त है तथा जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष या उससे अधिक की बची हुई हो ।
3. अनुसूचित जनजाति श्रेणी में वरीयता क्रमांक 6082/08 तक के पदाधिकारी जिन्हें अपुनिरिक्षित वेतनमान् 14,300-18,300 रू० में डायनेमिक ए०सी०पी० प्राप्त है तथा जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष या उससे अधिक की बची हुई हो ।
4. शैक्षणिक सम्बर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी, सेवा निवृत्त, ऐच्छिक सेवा निवृत्त एवं निलम्बित चिकित्सा पदाधिकारी उक्त कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे ।

ह०/-


(अजीत कुमार राम)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक 17/06/11.

ज्ञापांक: 3/T-1-6/2010- 375 (3)

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के अवर सचिव